तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुखदेव सिंह पुत्र श्री धन्नाजी गाँव रातड़िया बाड़िया हूंगूरेल, पोस्ट–चांग वाया–सेन्दड़ा, तहसील–रायपुर, जिला–पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :– 37 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 91 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

04/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 07.12.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर ने जरिये पत्रांक / सू.अ. / 2022 / 828 दिनांक 21.02.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार रायपुर से संबंधित होने से जरिये पत्रांक / सू.अ. / 2021 / 579 दिनांक 17.12.2021 के अंतरित की गई थी। इस पर तहसीलदार रायपुर ने पत्रांक / सू.अ. / 2021 / 200 दिनांक 23.11.2021 के उप तहसीलदार सेन्दड़ा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करने पर उप तहसीलदार सेंदड़ा द्वारा जरिये पत्रांक / सू.अ. / 2022 / 14 दिनाक 14.01.2022 के आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाकर पत्र की मूल प्रति तहसीलदार, रायपुर को प्रेषित की गई। अतः वांछित सूचना आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को इस आशय का प्रेषित किया कि उनके द्वारा वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर ने उपतहसीलदार सेंदड़ा द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना बताया। तथा अपीलांट को प्रेषित सूचना की प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की। परन्तु इसके विपरीत अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अपीलांट को वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना बताया। अतः इस संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी रायपुर को अपीलांट के आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी / अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

7. निर्णय आज दिनांक 04/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली